

कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (द्वितीय), सीकर

मेदाराम बनाम रामचंद्र मांडे

दावा मु. नं. 57/2013 वर्ष

आज्ञा - पत्र

पत्रावली पेश हुई। कर्तव्य उद्योगपक्ष अनुपस्थित
प्रामाण्य समझ में बार-बार आवाज लगाते पर भी
हानि नहीं। अतः पत्रावली अक्षय पेशी अक्षय
घाजरी में बर्गानि की जाती है। पत्रावली फौजदारी
अक्षय होकर नम्बर से अक्षय है। दालिल दफ्तर
है। २

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
यह फौजदारी आज दिनांक 17/12/14 को पेश करा शुरू
प्रामाण्य में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर